

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522-234001

Website- www.datiamedicalcollege.com

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com

& datiamedicalcollege2018@gmail.com

पता - 29 बटालियन के पास, एन.एच. 75, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड 475661

क्रमांक - 5761 /द.चि.म./2020

दतिया, दिनांक - 21/07/2020

प्रति,

श्रीमान् आयुक्त
जनसम्पर्क विभाग
म.प्र., भोपाल

विषय-मध्यप्रदेश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी करने बावत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति, म.प्र. के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों (तीन हिन्दी एवं एक इंग्लिश) में प्रकाशित करने हेतु संबंधित को आदेशित करने की कृपा करें, जिससे समयावधि में मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया नॉर्स के अनुसार पदों की पूर्ति की जा सके।

पदों की संख्या, वर्गीकरण, विज्ञप्ति का प्रारूप एवं अन्य शर्तें/जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की वेबसाईट www.datiamedicalcollege.com एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार रिक्त पदों की जानकारी।

अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)

दतिया, दिनांक - 21/07/2020

क्रमांक - 5161-66 /द.चि.म./2020

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

- 1 आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2 आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर एवं अध्यक्ष, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, दतिया।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला-दतिया, म.प्र.।
5. निज सचिव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, म.प्र. शासन, भोपाल।

अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)

o/c

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522-234001

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com

Website- www.datiamedicalcollege.com

datiamedicalcollege2018@gmail.com

पता- 29 बटालियन के पास, एन.एच. 75, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड - 475661

क्रमांक - 5167 / द.चि.म. / 2020

दतिया, दिनांक- 21 / 07 / 2020

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. के अधीन 3rd renewal के लिए निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/प्रदर्शक-(ट्यूटर) के पद हेतु विज्ञापन रोस्टर

क्र.	विभाग का नाम	प्राध्यापक				सह-प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक				प्रदर्शक (ट्यूटर)			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1.	फॉरेंसिक मेडिसिन	1															1
2.	कम्युनिटी मेडिसिन													1			1
3.	पैथोलॉजी											1					1
4.	जनरल मेडिसिन					1		1									1
5.	पीडियाट्रिक्स					1											1
6.	टुबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डिजीज	1															
7.	डर्मेटोलॉजी					1											
8.	ई.एन.टी.					1											
9.	जनरल सर्जरी					2		1									
10.	स्त्री एवं प्रसूति रोम																1
11.	एनेस्थिसियोलॉजी	1						1				1	1				
12.	रेडियोडायग्नोसिस	1				1					1						
13.	डेंटिस्ट्री	1															

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC =अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं, UR= अनारक्षित

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी/3-2/97/3/एक दिनांक 10 फरवरी 1997 के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रहेंगे। पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।

1. वेतनमान -		नियमित नियुक्ति हेतु
प्राध्यापक	-	37400-67000+ ग्रेड-पे 10000 + डी.ए.
सह प्राध्यापक	-	37400-67000+ ग्रेड-पे 9000 + डी.ए.
सहायक प्राध्यापक	-	15600-39100+ ग्रेड-पे 7000 + डी.ए.
प्रदर्शक/ट्यूटर	-	15600-39100+ ग्रेड-पे 6000 + डी.ए.

टीप - समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।


2. आयु सीमा -		न्यूनतम	अधिकतम
प्राध्यापक	-	35 वर्ष	62 वर्ष
सह प्राध्यापक	-	30 वर्ष	
सहायक प्राध्यापक	-	25 वर्ष	
प्रदर्शक/ट्यूटर	-	22 वर्ष	

टीप - आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
 - जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
4. अर्हताये :-
 - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।
5. निरर्हतायें-
 - 5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।
 - 5.2 दुष्चरित्र होने पर।
 - 5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
 - 5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशांसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशांसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
 - 5.5 विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
 - 5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
 - 5.7 कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
 - 5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
 - 5.9 स्वास्थ्य संबंधी - चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
6. सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी।
7. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा।
8. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
9. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
10. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष का वेतन /मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।

11. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
12. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. में आवेदन पत्र दिनांक 31/07/2020 सायं 05:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा, अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय से पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.datiamedicalcollege.com एवं www.medicaleducation.mp.gov.in पर भी देखे जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।


21/7/2020
अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया, म.प्र.